


राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.17(ई)ग्राविप/प्रशा.2/विका.यो./पंचा.शिविर/2016/ 3180 जयपुर,दिनांक: 2-8-16

-:: आदेश ::-

माननीया मुख्यमंत्री महोदया के बजट भाषण अनुसार ग्रामीण जनता के पंचायत स्तरीय कार्यों के निस्तारण हेतु "पंचायत शिविर कार्यक्रम" आयोजित किया जाना है। यह कार्यक्रम विभागीय आदेश क्रमांक 2775 दिनांक 30.06.2016 के अनुसार दिनांक 16-09-2016 से प्रारम्भ किया जाना था, किन्तु अब यह कार्यक्रम दिनांक 16.09.2016 के स्थान पर दिनांक 02.10.2016 (रविवार) से प्रारम्भ किया जायेगा एवं आगामी सभी शिविर प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित किये जावेगे। शेष दिशा-निर्देश पूर्वानुसार ही रहेंगे।


(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा0 वि0 एवं पं0 रा0 विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग।
5. माननीय सांसदगण (समस्त)/विधायकगण(समस्त)/जिला प्रमुख(समस्त)/प्रधान (समस्त)।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि एवं पं.रा.वि.राजस्थान।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा0 न्याय एवं अधिकारिता विभाग/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि कृपया शिविरों के आयोजन बाबत समुचित विभागीय आदेश जारी कराने का श्रम करावें।
9. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पं.रा.वि. राजस्थान।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान।
11. निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद।
12. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना।
13. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर।
14. जिला कलक्टर, समस्त।
15. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन।
16. संयुक्त निदेशक(मॉनिटरिंग), पंचायती राज को प्रेषित कर लेख है कि पंचायत शिविर कार्यक्रम से संबंधित एम.पी.आर. का संकलन एवं पर्यवेक्षण/मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेंगे।
17. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
18. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
19. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव